प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, (नैनीताल)।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री सत्य नारायण मन्दिर,
इण्टर कालेज, मखदूमपुर, हरिद्वार।

पत्रांकः— मान्यता/1540-44 /2020—21 दिनांकः 23 नवम्बर, 2020

विषयः— **इण्टर अतिरिक्त वाणिज्य एवं कृषि वर्ग (हिन्दी माध्यम) की परीक्षा के लिये मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।**

महोदय,

शासनादेश संख्याः—900/XXiv—4/2020—5(25)/2020 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—4, देहरादून, दिनांकः 06 नवम्बर, 2020 के द्वारा आपके विद्यालय को **विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा—11(क)** के अन्तर्गत **इण्टर अतिरिक्त वाणिज्य एवं कृषि वर्ग (हिन्दी माध्यम)** की वित्त विहीन मान्यता दिये जाने की स्वीकृति का आदेश प्रदान किया गया है।

उक्त शासनादेश के क्रम में विद्यालय को परिषद् की **वर्ष—2022** की **इण्टर अतिरिक्त वाणिज्य एवं कृषि वर्ग (हिन्दी माध्यम)** की परीक्षा से निम्नलिखित विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ मान्यता पत्र निर्गत किया जाता है।

<u>सामान्य प्रतिबन्ध</u>

(1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण,साज—सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान,प्राभूत, सुरक्षित कोष, आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से मुख्य शिक्षा अधिकारी को पूर्ण रूपेण संतुष्ट करें। इसके लिये संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही मुख्य शिक्षा अधिकारी से 11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगल सीटेड कुर्सी व मेज ही स्वीकार किये जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों में अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन वित्त विहीन मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा भविष्य में अनुदान के लिये मांग नहीं की जायेगी तथा नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

कृ0प0उ0

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय में अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	विषयों का विवरण
इण्टर अतिरिक्त वाणिज्य वर्ग	हिन्दी, अंग्रेजी, लेखाशास्त्र, व्यवसायिक अध्ययन, अर्थशास्त्र।
इण्टर अतिरिक्त कृषि वर्ग	हिन्दी भाषा। **भाग— एक (प्रथम वर्ष) परीक्षा—** (क) शस्य विज्ञान (ख) कृषि वनस्पति विज्ञान (ग) कृषि भौतिक विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान (घ) कृषि अभियंत्रण (ङ) गणित एवं प्रारम्भिक सांख्यिकी हिन्दी भाषा। **भाग— दो (द्वितीय वर्ष) परीक्षा—** (क) शस्य विज्ञान (ख) कृषि अर्थशास्त्र (ग) कृषि जन्तु विज्ञान (घ) पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान (ङ) कृषि रसायन विज्ञान

भवदीय

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

पृ0सं0:—मान्यता/ /2018—19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः—निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—4, देहरादून।
(2) सभापति/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
(3) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
(4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
(5) इण्टर परीक्षा अनुभाग/कार्यालय प्रति।

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।